न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–39 / 2017–18

राज्य बनाम राज कुमार साह

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
4.7.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 अंतर्गत प्रश्नगत वाद, अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव पत्रांक–643 / 30, दिनांक –18.05.2017 के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। अधिहरण प्रस्ताव में स्पष्ट अंकित है कि दिनांक–20.02.2017 उत्पाद विभाग के छापामारी में अवैध विदेशी शराब एवं देशी शराब अभियुक्त श्री राज कुमार साह पिता–स्व० अनिल साह, ग्राम–हाजीपुर, वार्ड नं०–12 थाना–खगड़िया के घर से बरामद किया गया था। अधिहरण प्रस्ताव में यह भी अंकित है कि अभियुक्त राज कुमार साह के घर को सील बन्द कर दिया गया है। अभिलेख में बिहार उंडीसा उत्पाद अधिनियम–2 1915 की धारा 82 या अफीम अधिनियम 1, 1876 की धारा 21 या खतरनाक औषध अधिनियम 2, 1930 की धारा 27 के अधीन गिरफ्तारी, जब्ती या तलाशी की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन जब्ती का विवरण स्पष्ट है, जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को संपुष्ट करता है। जब्ती की विवरणी निम्नवत् हैं :– जप्ती सूची के विषय में वर्णन के अनुसार घर में अवैध रूप से 200एम.एल. का देशी शराब का सैचेट 145 पीस जिस पर झारखंड उत्पाद अंकित है। सभी सैचेट में 200×145=29.0 लीटर तथा ऑफिसरस् च्वाईस विस्की का 180एम.एल. (पेपर पैक) चदरे का बक्सा से 180×304=54.720 लीटर (For sale in West Bengal) लिखा हुआ बरामद किया गया है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। दैनिक जागरण के दिनांक–10.06.2017 एवं प्रभात खबर दिनांक–11.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा	

मकान के स्वामी राज कुमार साह को निर्धारित तिथि दिनांक–13.06.2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु संसूचित किया गया।

मकान के स्वामी राज कुमार साह द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–20.06.2017 को हस्ताक्षरित कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। कारण–पृच्छा की कंडिका–8 एवं 9 में वर्णित है कि उन्हें वाद में फंसा दिया गया है जबकि उक्त जगह से उन्हे किसी प्रकार का सरोकार या दखल नहीं रहा है। उनके द्वारा यह भी वर्णित किया गया है कि उनका (राज कुमार साह) जब्ती सूची पर बा–जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिया गया है।

उत्पाद अधीक्षक खगड़िया के संलग्न अधिहरण प्रस्ताव, उत्पाद निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मकान/भूखण्ड का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त मकान अधिहरण योग्य है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। उनके द्वारा सुनवाई हेतु कारण–पृच्छा समर्पित किया गया तथा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। उनकी कारण–पृच्छा पर गंभीरता से विचारण किया गया।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत मकान से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत मकान को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

उभय पक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत मकान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता हैं :–

1. इस अपराध में उपयोग में लाये गये मकान जो सील बन्द किया हुआ है, तथा जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है–उत्तर–सूरज कुमार, पे0–अर्जुन साह का घर, दक्षिण–वकील साह, पे0–स्व0 दासो साह का घर, पूरब–पप्पू साह, पे0–स्व0 रामदेव साह का घर,

पश्चिम– देनेश महतों, पे0–स्व0 विशुनदेव महतों का घर का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला घर किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।

2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे सील बन्द मकान का उचित मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।